भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1018

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

टियर-2 और टियर-3 शहरों में कारपोरेट निवेश को बढ़ावा देना

1018. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टियर-2 और टियर-3 शहरों में कारपोरेट निवेश और व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन सी विशिष्ट नीतियां अपनाई गई हैं अथवा पहलें की गई हैं/की जा रही हैं और ये प्रयास किस प्रकार से क्षेत्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई) योजनाओं की घोषणा की गई है।

पीएलआई योजनाओं का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना है; दक्षता सुनिश्चित करना और विनिर्माण क्षेत्र में साइज और स्केल की अर्थव्यवस्थाओं को लाना और भारतीय कंपनियों और निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन योजनाओं में अगले पांच वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है।

उपर्युक्त योजना के तहत टियर 2 और 3 शहरों में 1014 विनिर्माण इकाइयों ने लगभग 1.04 लाख करोड़ रुपये के निवेश से लगभग 4.95 लाख रोजगार सृजित किए हैं।

इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने उद्यमियों हेतु पहलों सहित, व्यापार करने में आसानी के लिए कई पहल की हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. कंपनियों और एलएलपी आर्ट्स के तहत 63 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना।

2. अधिकतम 2.00 करोड़ रुपये से 4.00 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी वाली और अधिकतम 20.00 करोड़ रुपये से 40.00 करोड़ रुपये टर्नओवर वाली लघु कंपनी की प्रारंभिक सीमा को बढ़ाकर लघु कंपनी की परिभाषा में संशोधन किया गया है। इसी प्रकार, लघु एलएलपी की अवधारणा शुरू की गई है जो अनुपालन की लागत को कम करने के लिए कम अनुपालन, कम शुल्क के अध्यधीन है।

3. 15.00 लाख रूपए तक की प्राधिकृत पूंजी वाली कंपनी के निगमन के लिए शून्य शुल्क।

4. किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए शून्य लागत।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से किसी कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करना

*****